UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना कमालगंज

दिनांक – 29.07.2026

थाना कमालगंज पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में नामजद/वांछित 02 अभियुक्तों को 24 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पर पंजीकृत अभियोग में नामजद अभियुक्त 1. कैलाश चन्द्र शर्मा पुत्र खान सहाय निवासी ग्राम सवासी थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ 2. नीलेन्द्र पुत्र धीरेन्द्र उर्फ नारद निवासी धीरजपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

01. कैलाश चन्द्र शर्मा पुत्र खान सहाय निवासी ग्राम सवासी थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

02. नीलेन्द्र पुत्र धीरेन्द्र उर्फ नारद निवासी धीरजपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 29.07.2026 को वादी की लिखित तहरीर के आधार पर बावत अभियुक्तों द्वारा बेची हुई जमीन को लेकर वादी के पिता हरनाम सिंह को लाठी डण्डो से मारपीट कर जान से मार देना तथा शव को छिपाने की नियत से गांव धीरजपुर व सवासी के बीच 400 से 500 मीटर दूर खेतों मे फेक देने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कमालगंज पर अभियुक्त 01. कैलाश चन्द्र शर्मा उपरोक्त 02. नीलेन्द्र उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि, कैलाश चन्द्र शर्मा उपरोक्त ने करीब 04-05 वर्ष पूर्व अपनी छः बिसे जमीन हरनाम सिंह को बहुत कम रूपये मे बेंच दी थी, जो जमीन अब बहुत मंहगी हो गयी है कैलाश चन्द्र शर्मा उपरोक्त ने हरनाम से कहा कि मेरी जमीन मुझको वापस दे, जो तुमने मुझको रूपये दिये थे मै वापस कर दूँगा। लेकिन हरनाम सिंह जमीन नही दे रहा था। 10-15 दिन पहले नीलेन्द्र उपरोक्त का भी हरनाम से विवाद हो गया था। फिर हम दोनो ने मिलकर हरनाम के साथ डण्डा से मारपीट कर दी जिससे हरनाम की मृत्यु हो गयी थी। जिसके बाद हम लोगो ने हरनाम की लाश को अपनी मढ़ैया से लेकर मृतक के बाडे की तरफ जो रास्ता जाता है, उसी पर छोड़ दिया था।

अभियुक्त कैलाश चन्द्र शर्मा उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 233/2026 धारा 103(1)/238 बी.एन.एस. थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त नीलेन्द्र उर्फ नीलू उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 233/2026 धारा 103(1)/238 बी.एन.एस. थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त कैलाश चन्द्र शर्मा के कब्जे से बरामदगी का विवरण-

01 अदद डण्डा (लकड़ी)

गिरफ्तार करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राम सहाय सिंह
2. हे0का0 ब्रजेश कुमार
3. का0 तेजवीर सिंह
4. का0 रिंकू चाहर
5. का0 योगेन्द्र सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

दिनांक 29.07.2026

06 लोगों की हत्या के मुकदमें में फरार वांछित अभियुक्त जो लगभग 28 वर्षों से नाम बदलकर नोएडा में नौकरी कर रहा था, को कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कायमगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 293/1991 धारा 302/34 भादवि बनाम श्री कृष्ण मास्टर आदि 06 पंजीकृत किया गया था। अभियोग में सभी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है। अभियोग में वांछित अभियुक्त किशोरीलाल पुत्र नन्हेलाल जाटव निवासी ग्राम लखनपुर कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण के पश्चात से ही लगातार फरार चल रहा था। अभियुक्त किशोरीलाल उपरोक्त लगभग 28 वर्षो से अपना नाम बदलकर दीपक पुत्र नन्दराम निवासी गगनपुरी निधौली कलां एटा के नाम से नोएडा में रहकर प्राइवेट नौकरी कर रहा था। जिसे कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 29.07.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त किशोरीलाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 293/1991 धारा 302/34 भादवि कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम:-

01. प्र0नि0 श्री विनोद कुमार शुक्ल
02. उ0नि0 श्री अंकुर भाटी
03. का0 विजय गुर्जर
04. का0 सचिन कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।